

रोजी 25

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.वी. 9(7)लेखा /प्रकीर्ण/ 95-96 /

जयपुर दिनांक

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ.वी.9(7)लेखा /प्रकीर्ण/ 95-96 /4286-92 दिनांक 29.04.2006 के द्वारा विभाग में EPBX संचालन हेतु ठेका अवधि दिनांक 01.04.2006 से माननीय उच्च न्यायालय जयपुर, द्वारा रिट पिटीशन संख्या 2928/02 दिनांक 02.03.2001 एवं 6365/02 दिनांक 29.11.2002 की पालना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक श्रौं कन्हैया लाल ठेकेदार की ठेका अवधि बढ़ाई गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 23.08.2012 के अनुसार श्री कन्हैया लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण उपरान्त निस्तारण किया जा चुका है।

अतः इन का ठेका तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

C40
R-1459
6/7/16
6776

S/D
निदेशक

क्रमांक: एफ.वी. 9(7)लेखा /प्रकीर्ण/ राज्य वित्त/ 95-96 / 6090-94

जयपुर दिनांक 25/6/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. अतिरिक्त निदेशक उत्पाद/स्वास्थ्य निदेशालय, पशुपालन जयपुर।
2. सहायक विधि प्ररामणी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
3. विशेषाधीकारी/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय पशुपालन जयपुर।
4. श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, गॉव एवं पॉस्ट- हंसमहल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

मुख्य लेखाधिकारी:

मुख्य लेखाधिकारी

रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांक—एफ.वी.9(7) लेखा / ।।/ क्रय स./ 95-96

दिनांक—

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या-6356/2002 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2012 के क्रम में श्री कन्हैया लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहनता से विचार किया गया। श्री कन्हैया लाल शर्मा को निदेशालय पशुपालन में टेलीफोन आपरेटर के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई थी अपितु श्री कन्हैया लाल शर्मा की सेवाये टेलीफोन आपरेटर के लिए संवेदक (ठेकेदार) के रूप में ली गई थी तथा संविदा की उक्त अवधि समय—समय पर बढ़ायी जाती रही। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.02.2009 उन प्रकरणों से सम्बन्धित है जिनमें किसी कार्मिक को अनियमित नियुक्ति प्रदान की गई हो श्री कन्हैया लाल शर्मा को विभाग द्वारा कभी नियुक्ति दी ही नहीं गई, उन्हें संवेदक के रूप में संविदानुसार नियत भुगतान पर कार्य कराया गया है। अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 27.02.2009 श्री कन्हैया लाल शर्मा के प्रकरण में प्रभावी नहीं की जा सकती।

शासन उप सचिव द्वारा निदेशालय को प्रेषित पत्र तथा निदेशालय द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी विभागीय प्रक्रिया का अंग है जिसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं होने तक उक्त प्रक्रिया के आधार पर कोई लाभ प्रदत्त नहीं किया जा सकता।

श्री कन्हैया लाल शर्मा द्वारा संवेदक के रूप में कार्य किया है अतः इन्हे नियमानुसार नियमित नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.08.2012 की अनुपालना में श्री कन्हैया लाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण एतद् द्वारा किया जाता है।

sd.

(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)

निदेशक

क्रमांक—एफ.वी.9(7) लेखा / ।।/ क्रय स./ 95-96 / 6/12-6/16

दिनांक— 27/6/16

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य, निदेशालय पशुपालन जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक, उत्पादन निदेशालय पशुपालन जयपुर
3. श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा निवासी—ग्रन्थ व पोर्ट—हंसमहल, तहसील—बरसी, जिला—जयपुर (राज.)
4. उप निदेशक, स्वास्थ्य, निदेशालय पशुपालन जयपुर
5. रक्षित पत्रावली


(रमेश सांखला)
मुख्य लेखाधिकारी